राजस्थान सरकार
पंत कृषि भवन सामुहिक सुविधा विकास समिति,
कमरा सं0 147, जयपुर।

क्रमांक: प02(34)के.टे./नीलामी/2021–22/508 दिनांक: 7.1.22

नीलामी सूचना

पंत कृषि भवन जयपुर सामुहिक सुविधा विकास समिति जयपुर के कार्यालय उपयोग में आने वाली अनुपयोगी भंडार सामग्री यथा वाटर प्यूरीफाईर, वाटर कूलर, एक्जास्ट फेन, पंखे, टेलीफोन उपकरण ताले एवं लोहे की खिडकियों के फ्रेम व अन्य लकडी/लोहे की सामग्री इत्यादि की नीलामी हेतु दिनांक 27.01.2022 को दोपहर 03.00 बजे पंत कृषि भवन जयपुर स्थित कार्यालय में जहां है जैसी स्थिति मे है की जावेगी।

बोली दाता मौके पर बयाना राशि रू 9800 नगद/डी0डी0 अथवा बैंकर्स चैक जो कि आयुक्त कृषि के नाम से जयपुर में देय हो जमा करवा कर बोली में भाग ले सकते है। बोली की शर्तें एवं नियम विभागीय वेबसाइट **www.agriculture.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

7/1/22

(डा0 ओमप्रकाश)
मुख्य नियंत्रक एवं आयुक्त कृषि

पंत कृषि भवन सामुहिक सुविधा विकास समिति के अन्तर्गत अनुपयोगी सामग्री की दिनांक 27.01.2022 की जाने वाली नीलामी की सामान्य शर्ते

1. समिति द्वारा निर्धारित की गई बयाना राशि रू 9800 नगद/डी0डी0 अथवा बैंकर्स चैक जो कि आयुक्त कृषि जयपुर के नाम से देय हो या नकद राशि बोलीदाता को लिफाफे मे बोली से पूर्व जमा कराना होगा।
2. नीलामी समिति द्वारा नीलामी की न्यूनतम राशि निर्धारित की जाकर बोलीदाताओं को अवगत करवा दी जावेगी। न्यूनतम बोली की राशि का निर्धारण नीलामी समिति का सर्वाधिकार होगा तथा सभी को मान्य होगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि उसी समय मौके पर नकद या डी0डी0 के रूप में जो की आयुक्त कृषि के नाम से देय होगा जमा करानी होगी। तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान सामान लेने से पूर्व करना होगा। यदि सफल बोलीदाता बोली राशि का 50 प्रतिशत राशि मौके पर जमा नही करवाता है। तो उसकी बयाना राशि सम्पृहत (forefeit) कर ली जावेगी तथा द्वितीय बोलीदाता को अवसर दिया जावेगा, यदि वह भी असमर्थ होगा तो प्रथम सफल बोलीदाता के साथ ही उसकी भी बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी एवं प्रक्रिया जारी रखी जावेगी।
4. सफल बोलीदाता द्वारा नीलाम किया गये सामान को जैसा है जिस स्थिति में जहा स्थित है खुद से भण्डारपाल की देखरेख में उठाना होगा।
5. बोली के सम्बंध मे अन्य जानकारी दिनांक 27.01.2022 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है।
6. नीलामी राशि पर नियमानुसार जीएसटी का भुगतान अतिरिक्त रूप से देय होगा।
7. नीलामी कर्ता का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी को मान्य होगा।

उक्त शर्ते निविदादाता को मान्य है।

सहायक अभियन्ता (अनुरक्षण)
कृषि निदेशालय, जयपुर

(निविदादाता के हस्ताक्षर)